संख्या-04/2019/530/38-3-2019-42/2018

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल,2019

विषयः- अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में अपने पत्र संख्या-230/बजट-मांग/2019-20 दिनांक 09 अप्रैल,2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक "2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन/102-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 109224.78 (दस अरब बानबे करोड चौबीस लाख अठत्तर हजार) (मतदेय धनराशि 109214.78 और भारित धनराशि 10.00) के कुल धनराशि रूपये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा निर्देशों को ध्यान में रख कर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या–बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, पत्र संख्या–1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018, तथा संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मानक मद-14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत बजट प्रावधान से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियों वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रथक से जारी की जाएगी। तत्क्रम में नियम व प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कर संगत प्रस्ताव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध कराया जाए।

(3) मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर में प्रावधानित धनराशि का उपयोग टेक्निकल स्पेशिफिकेशन के निर्धारणपरान्त शासन के अनुमति के पश्चात किया जाएगा।

(4) उक्त स्वीकृति धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/मानक इकाइयों के नामे डाली जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

संख्या-04(1)/2019/530/38-3-2019-42/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

भवदीय
राम केशर यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-04(1)/2019/530/38-3-2019-42/2018 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

(क) लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय) (धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि मतदेय	प्राविधानित धनराशि भारित	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01- वेतन	1721.40	---	1721.40
03- मंहगाई भत्ता	258.21	---	258.21
04- यात्रा व्यय	7.00	---	7.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	---	4.00
06- अन्य भत्ता	1.42	---	1.42
07- मानदेय	1.00	---	1.00
08- कार्यालय व्यय	26.00	---	26.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10.00	---	10.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	---	1.00
13- टेलीफोन पर व्यय	4.00	---	4.00
15- गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	75.00	---	75.00
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3.00	---	3.00
18- प्रकाशन	0.10	---	0.10
19- विज्ञापन, ब्रिकी और विख्यापन व्यय	0.01	---	0.01
29- अनुरक्षण	1.00	---	1.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	---	1.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	---	1.00
46- कम्प्यूटर क्रय	5.00	---	5.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	---	0.50
49- चिकित्सा व्यय	25.00	---	25.00
51- वर्दी	2.00	---	2.00
52- पुनरीक्षित वेतन अवशेष(राजकीय)	108.80	---	108.80
55- मकान किराया भत्ता	147.60	---	147.60
56- नगर प्रतिकर भत्ता	20.67	---	20.67
42- अन्य व्यय(भारित)	---	10.00	10.00
कुल योग(मतदेय व भारित)	2424.71	10.00	2434.71

(रूपये चौबीस करोड चौतीस लाख एकहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि मतदेय	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01- वेतन	1293.55	1293.55
03- मंहगाई भत्ता	194.03	194.03
04- यात्रा व्यय	5.00	5.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	4.00
06- अन्य भत्ता	14.24	14.24
08- कार्यालय व्यय	3.00	3.00
09- विद्युत देय	25.00	25.00
10- जलकर/जलप्रभार	0.27	0.27
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.50	1.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13- टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15- गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	7.50	7.50
17- किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	5.93	5.93
29- अनुरक्षण	1.50	1.50
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.57	0.57
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46- कम्प्यूटर क्रय	7.00	7.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	2.50	2.50
49- चिकित्सा व्यय	5.85	5.85
51- वर्दी	0.95	0.95
52- पुनरीक्षित वेतन अवशेष(राजकीय)	84.71	84.71
55- मकान किराया भत्ता	77.26	77.26
56- नगर प्रतिकर भत्ता	9.82	9.82
योग	1747.68	1747.68

(रूपये सतरह करोड सैतालिस लाख अडसठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि मतदेय	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01- वेतन	66517.25	66517.25
03- मंहगाई भत्ता	9977.59	9977.59
04- यात्रा व्यय	150.00	150.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	10.00
06- अन्य भत्ता	399.40	399.40
08- कार्यालय व्यय	20.00	20.00
09- विद्युत देय	1260.52	1260.52
10- जलकर/जलप्रभार	11.53	11.53
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10.00	10.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	9.00	9.00
13- टेलीफोन पर व्यय	8.00	8.00
15- गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	140.00	140.00
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.50	0.50
17- किराय उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	46.95	46.95
29- अनुरक्षण	998.30	998.30
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	2.00	2.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46- कम्प्यूटर क्रय	100.00	100.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	20.00	20.00
49- चिकित्सा व्यय	197.21	197.21
51- वर्दी	9.03	9.03
52- पुनरीक्षित वेतन अवशेष(राजकीय)	4513.82	4513.82
55- मकान किराया भत्ता	80.73	80.73
56- नगर प्रतिकर भत्ता	29.20	29.20
योग	84512.03	84512.03

(रूपये आठ अरब पैतालिस करोड बारह लाख तीन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय (धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि मतदेय	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01- वेतन	14662.00	14662.00
03- मंहगाई भत्ता	2199.30	2199.30
04- यात्रा व्यय	25.00	25.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	10.00
06- अन्य भत्ते	122.97	122.97
08- कार्यालय व्यय	45.00	45.00
09- विद्युत देय	823.15	823.15
10- जलकर/जलप्रभार	237.46	237.46
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	40.00	40.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	10.00
13- टेलीफोन पर व्यय	10.00	10.00
15- गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	50.00	50.00
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	1.00
17- किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	150.00	150.00
19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.20	0.20
29- अनुरक्षण	200.00	200.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1.00	1.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	2.50	2.50
46- कम्प्यूटर क्रय	40.00	40.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	8.00	8.00
49- चिकित्सा व्यय	100.94	100.94
51- वर्दी	5.55	5.55
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	1085.42	1085.42
55- मकान किराया भत्ता	596.45	596.45
56- नगर प्रतिकर भत्ता	102.42	102.42
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
योग	20530.36	**20530.36**

(रूपये दो अरब पांच करोड तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)

कुल योग रूपये (क)+(ख)+(ग)+(घ)=रूपये लाख में

(2434.71+1747.68+84512.03+20530.36) 109224.78 (दस अरब बानबे करोड चौबीस लाख अठत्तर हजार मात्र)

राम केशर यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।